

प्राप्त,

प्रभारी अधिकारी,
(जिला टास्क फोर्स, उत्तरकाशी,)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,
जनपद उत्तरकाशी

संख्या: 1625/भूअभि0-पे0ज0/उ0का0/2007-08

दिनांक 25 फरवरी, 2008

विषय: जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी के अन्तर्गत कुनारा-पासा नहर हेतु प्रस्तावित भूमि के भूगर्भीय निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्धी आपके पत्रांक: 2212/सिं0नि0ख0/रिपोर्ट दिनांक 22.12.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें उक्त के क्रम में संरेखण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके प्रतिनिधि श्री एम0 एस0 यादव, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री विनोद कुमार तथा श्री सचिन शर्मा सिंचाई निर्माण खण्ड, पुरोला, उत्तरकाशी की उपस्थिति में दिनांक 14 जनवरी, 2008 को सम्पन्न किया गया। प्रश्नगत स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

प्रश्नगत कुनारा-पासा नहर जनपद उत्तरकाशी के तहसील मोरी, ग्राम कुनारा, मीयागाड़, पट्टी सिंगुर में स्थित है। प्रश्नगत क्षेत्र जनपद उत्तरकाशी के पुरोला से लगभग 44 कि०मी० दूर मोरी-नेटवाड़ मोटर मार्ग पर स्थित मीयागाड़ पुल से पुल के दांयी ओर मीयागाड़ पुल के अप स्ट्रीम में 12 कि०मी० पैदल मार्ग पर ग्राम कुनारा के समीप ढालदार पहाड़ी पर स्थित है। प्रस्तावित संरेखण की लम्बाई 7 कि०मी० है जो कि ग्राम कुनारा के ऊपर से ग्राम पासा तक बनाई जानी प्रस्तावित है। प्रस्तावित संरेखण का हेड कुनारा गांव के उत्तर-पूर्व दिशा में ग्राम कुनारा 30°-35° स्लोप पर बसा हुआ है। गांव के ऊपर क्वार्टजाइट चट्टान दृष्टिगोचर होती है तथा गांव के गांव ग्रामीणों की सिंचित कृषि भूमि एवं मीयागाड़ उत्तर-पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रस्तावित संरेखण की अनुमानित लागत 105.0 लाख बताई गयी है। अवगत करवाया गया है कि उक्त क्षेत्र में 240 हे० कृषि योग्य भूमि है जिसमें खरीब की खेती 112 हे०, रबी की फसल 128 हे० है। इस प्रकार कुल 240 हे० कृषि योग्य सिंचित भूमि है। पासा गांव अभी तक सिंचाई हेतु पानी से वंचित था तथा पीने के पानी की भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं थी। प्रस्तावित संरेखण का हेड मीयागाड़ के दाहिने किनारे से लिया गया है। प्रस्तावित संरेखण का हेड क्वार्टजाइट चट्टान के पास से लिया गया है जिसका डिप एम्प्लिच 65°, डिप दिशा उत्तर 300° पश्चिम, स्ट्राइक दिशा उत्तर 220° है। हेड के आस-पास 30° का स्लोप है यहां पर बांझ, बुरासा तथा चीड़ के वृक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तावित नहर के हेड पर 5.12 क्यूसेक जल प्रवाह है संरेखण के एल०-सेक्शन में 3-4 छोटी-छोटी stream है। प्रस्तावित संरेखण का हेड रागुद्र तल से लगभग 2230 मी० पर है यह पर क्वार्टजाइट चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। प्रस्तावित संरेखण के एल०-सेक्शन में कुछ भूमि वन विभाग की तथा सिविल सोयंग एवं कुछ ग्रामीणों की नाप भूमि है। प्रस्तावित संरेखण के एल०-सेक्शन में क्वार्टजाइट चट्टानें तथा चीड़ का घना जंगल है। प्रस्तावित संरेखण का अन्तिम बिन्दु 7 कि०मी० दूर पासा गांव के ऊपर स्थित खेती तक जाती है।

MP

अतः क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त ही प्रस्तावित स्थल कुनारा-पासा नहर योजना निर्माण हेतु उपयुक्त होगी:-

सुझाव एवं शर्तें

1. प्रस्तावित नहर योजना आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजरेंगी अतः आवक विधान की नवीन संशोधित अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. प्रस्तावित स्थल भूकम्पीय जोन के अन्तर्गत आता है अतः प्रस्तावित निर्माण भूकम्पीय गुणों को के अनुसार एवं भूकम्परोधी तकनीक पर आधारित किया जाना आवश्यक होगा।
3. नहर का निर्माण पी०सी०सी० आधारित किया जाय।
4. एला०-सेक्शन क्षेत्र में अधिकतर small stream आ रही हैं। अतः आवश्यक होगा कि उक्त क्षेत्र में नहर को धारक दीवार (व्हीप होल सहित)/पिल्लरों की सहायता से गहरा नहर बनाया जाय।
5. नहर निर्माण के दौरान ऐसे क्षेत्र जहाँ पर overburden के कारण स्थायी नहर बनाना संभव नहीं है, तो धारक दीवार (व्हीप होल सहित) बनाकर नहर का पाइप के माध्यम से प्रवाहित किया जाना उचित होगा। अतः आवश्यक होगा कि उक्त क्षेत्र में नहर को सुरक्षा दीवार/पिल्लरों के सापेक्ष बनाया जाय।
6. पर्वतीय क्षेत्र में निर्माण के लिए संस्तुत सिविल इन्जीनियरिंग मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना होगा।

उपरोक्त वर्णित सुझाव एवं शर्तों के अनुपालन की दशा में ही प्रस्तावित क्षेत्र को नहर निर्माण योजना हेतु भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है। वर्णित शर्तों एवं सुझावों का अनुपालन न करने की दशा में यह आख्या निरस्त समझी जाएगी।

भवदीय

 25/10/08

(जी०डी० प्रसाद)

उपनिदेशक, प्रमारी अधिकारी

पृष्ठांक: /भू०अभि०-पे०ज०/उ०का०/2006-07 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभारी, जिला टास्क फोर्स कार्यालय, उत्तरकाशी।

(जी०डी० प्रसाद)

उपनिदेशक/प्रमारी अधिकारी